

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना(नागौर)
पीठासीन अधिकारी : बिहारी लाल मीणा, आर०ए०एस०

अपील संख्या 72/2018

1-खेताराम पुत्र नारायणराम जाति नायक निवासी विश्वनाथपुरा तहसील लाडनूं
जिला नागौर

.....अपीलान्त

बनाम

1- तहसीलदार लाडनूं जिला नागौर राज०

.....रेस्पोंडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता-

1-श्री महावीर प्रसाद गुर्जर एवं श्री विक्रम कुड़ी अधिवक्ता अपीलान्त

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरुद्ध निर्णय
तहसीलदार लाडनूं बअनुवान राज०सरकार जरिये पटवारी हल्का,
सुनारी बनाम खेताराम मु० नं० 76/18 अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.

एक्ट दिनांक 11.09.2018

निर्णय

दिनांक : 23.01.2019

अपीलान्त की ओर से निम्न अपील पेश है :-

यह है कि प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि पटवारी हल्का सुनारी ने
दिनांक 06.07.2018 को इस आशय की रिपोर्ट पेश की है कि अप्रार्थी खेताराम

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)



पुत्र श्री नारायणराम जाति नायक निवासी विश्वनाथपुरा तहसील लाडनू जिला नागौर राज० ने खसरा नम्बर 304 रकबा 00.05 बीघा किस्म गैर मुमकिन भूमि गौचर पर मकान व दिवार बनाकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है तथा अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया।

पटवारी हल्का, सुनारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर तलब किया गया। अप्रार्थी को नोटिस तामील होकर प्राप्त हुआ, जो शामिल मिसल है। पटवारी हल्का से निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट प्राप्त की गई, जो कि शामिल पत्रावली की गई।


हमने हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का भली-भांति अध्ययन एवम अवलोकन किया, ग्राम विश्वनाथपुरा के खसरा नम्बर 304 किस्म गै० मु० गौचर रकबा 00.05 बीघा भूमि पर खेताराम पुत्र श्री नारायणराम जाति नायक निवासी विश्वनाथपुरा तहसील लाडनू जिला नागौर राज० द्वारा गौचर की भूमि पर अतिक्रमण किया है। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया गया कि खेताराम पुत्र श्री नारायणराम जाति नायक निवासी विश्वनाथपुरा द्वारा पूर्व में अतिक्रमण किये जाने पर स० भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर न्यायालय तहसीलदार लाडनू में मु० सं० 76/2018 दर्ज कर न्यायानुसार निर्णय दिनांक 11.09.2018 (सरकार बनाम खेताराम) में अतिक्रमी को बेदखल किये जाने व सम्वत् 2075 की लगान दर 0.45 रूपये का 30 गुणा जुर्माना 06 रूपये के आदेश पारित किये है।

इस प्रकार उक्त अतिक्रमी माना जाकर धारा 91 एल आर एक्ट में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार अप्रार्थी को खसरा सं० 304 किस्म गै० मु० गौचर रकबा 00.05 बीघा भूमि से बेदखल किये जाने का आदेश दिया गया है। इस निर्णय से अप्रार्थी को नोटिस होकर अपीलार्थी यह अपील निम्न आधार पर प्रस्तुत करता है:-

अतिरिक्त जिला कलक्टर
लाडनू (नागौर)

—: अपील के आधार :-

1. यह है कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय अधिन अपील पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है, अतः निर्णय अधिन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यह है कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के विपरीत निर्णय अधिन अपील पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है, अतः निर्णय अधिन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।
3. यह है कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत न्यायालय के सामान्य सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए निर्णय अधिन अपील पारित करने में धोर त्रुटि की है, अतः निर्णय अधिन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।
4. यह है कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने किसी प्रकार की कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं मिली है तथा न ही पटवारी हल्का के बयान कलमबद्ध किये हैं। तथा अपीलान्त/प्रार्थी को साक्ष्य सबुत का अवसर भी नहीं दिया है। इस कारण अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।
5. यह है कि अपीलार्थी को न्यायालय तहसीलदार लाडनूं द्वारा पक्ष रखने का कोई अवसर नहीं दिया गया ना ही पटवारी हल्का द्वारा पटवारी रिपोर्ट अपीलार्थी के समक्ष बनाई तथा ना ही अपीलार्थी के हस्ताक्षर करवाये गये हैं। इस कारण अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।
6. यह है कि अपीलार्थी द्वारा जिस स्थान पर अतिक्रमण करना बताया गया है, उक्त स्थान पर अपीलान्त के रहवासीये मकानात पूर्वजों के समय से ही बन हुये है, तथा स्थानीय प्रशासन ग्राम पंचायत सुनारी द्वारा उक्त खसरा नम्बर 304 में आवादी विस्तार के लिये जिला कलक्टर नागौर को भी आवादी भूमि के लिये भूमि के आवंटन हेतु भी निवेदन किया हुआ है, जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी का उक्त स्थान पर किसी प्रकार से अतिक्रमण न होकर साधिकार



2
अपील संख्या 72/18

पिढीयों से काविज होकर रहवास करते आ रहे हैं। जिससे भी अधिनस्थ न्यायालय का आदेश अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

7. यह है कि अपीलार्थी खसरा नम्बर 304 की भूमि में पिढीयों से अपने रहवासी मकान बना कर रहा है तथा अपने रहवासी मकानात में बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के कनेक्शन भी संबंधित विभागों से ले रखे हैं। जिससे भी अपील अधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य हैं।
8. यह है कि अपीलान्ट के पास उक्त रहवासीये मकानात के अलावा अन्य कोई रहवासीये मकान व जायगा ग्राम विश्वनाथपुरा में उपलब्ध नहीं है, एक मात्र उक्त भूमि में बने मकानात ही रहवास का स्थान है जहाँ से अपीलार्थी को बिना किसी उचित कारण के ही बेदखल कर दिया जाता है अथवा वर्षों की खुन पसीने की कमाई से बनाये गये रहवासीय मकानात को तोड़ फोड़ कर दिया जाता है तो अपीलार्थी उसके परिवार खुले आसमान के नीचे जीवनापन करने के लिये मजबुर हो जावेंगे। जिस पर भी अधिनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं कर उक्त आदेश पारित किया है, जिससे उपरोक्त कार्यवाही अपीलान्ट के विरुद्ध झोप किया जाना न्याय हित में है।
9. यह है कि हल्का पटवारी ने भौतिक रूप से मौके पर बिना कोई नाप चौक किये ही नजरना तौर पर अतिक्रमण रिपोर्ट बनाकर अपीलान्ट के विरुद्ध धारा 91 के तहत कार्यवाही करने की अनुशंसा की है, जो मौके पर बिना कोई भौतिक रूप से नाप चौक किये ही तहसीलदार महोदय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, जिससे उपरोक्त अधिनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।
10. यह है कि मौके पर अपीलार्थी द्वारा उपर वर्णित खसरे में किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। इस कारण अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।
11. यह है कि अन्य उजरात वर वक्त बहस अर्ज किये जावेंगे।

अतिरिक्त जिला क्लर्क
डीडवाना (नागर)

2. यह है कि अपील श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार की है व अस्त
मयाद पेश है।

अतः अपील अपीलार्थी मय शपथपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है किया है
कि दिनांक 11.09.18 को पारित आदेश व निर्णय जैर अपील को अपारस्त व
निरस्त फरमाये जाने की कृपा करावे।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने यह अपील दिनांक 11.10.18 को प्रस्तुत की
गई जो दिनांक 15.10.18 को दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोंडेन्ट को जरिये
नोटिस तलब किया गया। दिनांक 16.11.18 को अधिनस्थ न्यायालय
तहसीलदार लाडनू द्वारा प्रेषित रिकॉर्ड इस न्यायालय को प्राप्त हुआ
जो शामिल मिसल किया गया।

अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।
बहस पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत
प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा ग्राम विश्वनाथपुरा के खसरा नम्बर 304
तकवा 31.06 बीघा में से 0.05 बीघा गैर मु0 गोचर पर मकान व
द्वार बनाकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर अपीलार्थी को
न्यायालय नायब तहसीलदार लाडनू द्वारा अतिक्रमी घोषित कर
नैतिक रूप से बेदखल किया गया तथा धारा 91 भू-राजस्व
नियम 1956 के तहत जुर्माना रूपये 06/- अक्षरे रूपये पांच का
दण्ड आरोपित किया गया तथा बेदखली के आदेश दिये गये।

अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार लाडनू
को दिया अपना जवाब में बताया कि सुनवाई के वगेर निर्णय किया
गया है तथा मुतनाजा भूमि पर रहवासीये मकानात पर्वजो के समय
कने हुवे है तथा बिजली पानी कनेक्शन भी ले रखे है। तथा



अधीनस्थ न्यायालय
तहसीलदार

आबादी विस्तार के लिये जिला कलक्टर नागौर से भी आबादी भूमि के लिये भूमि के आवंटन हेतु भी निवेदन किया हुआ है।

गौचर भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आराजी है। जिसमें धारा 16 आर. टी.एक्ट के तहत उक्त भूमि पर किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं तथा न ही गोचर भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा आबादी का पटटा जारी किया जा सकता है। तथा यह भी साबित नहीं होता कि अपीलान्ट का सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, क्योंकि अपीलान्ट द्वारा दिनांक 11.9.18 को अपना जवाब पेश किया जो पत्रावली पर उपलब्ध है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध प0ह0 सुनारी व भू0अ0नि0 की, रिपोर्ट दिनांक 5.07.18 में भी खेताराम पुत्र नारायणराम को मकान व दिवार बना कर अतिक्रमी बताया गया है। तथा मुतनाजा भूमि आबादी विस्तार भूमि से बाहर एक्सरा संख्या 304 किरम गै0गु0 गोचर में स्थिति बताया है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.09.18 को किया गया निर्णय विधि सम्मत है।

::: आ दे श :::

अतः अपीलान्ट की अपील खारीज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 11.09.18 बहाल रखा जाता है।



(बिहारी लाल मीणा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 23.01.2019 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुहर से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बिहारी लाल मीणा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)